



उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

"वनभूमि"

हस्तान्तरण पत्रावली

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ-रुद्रप्रयाग,

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-
किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

ग्राम:-

जलई,

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र:-

भीरी

तहसील:-

ऊखीमठ

जनपद:-

रुद्रप्रयाग

क्षेत्रफल:-

1.400 है० पंचायती वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु।

0.660 है० पंचायती वनभूमि मक डम्पिंग हेतु।

कुल वनभूमि = 2.06 है०

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र.सं०	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	7	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	8-12	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	13-16	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17-18	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	19	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सीडी/DWG में प्रस्तावित क्षेत्र को जीपीएस रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	22	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	23	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	21-22	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	24-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-38	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	39-40	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	41	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	42		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	44		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	45		
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	46-48	संलग्न है	
27	लागत लाभ विशलेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	49-56	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।

31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	57-59	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	60	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	61	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	62-63	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	64	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	65	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	66	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	67	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	68	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	69-71		
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	72		
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	73-74		
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	75-76		
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	77-79		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	—	—	— " —
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	80-89	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	90	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	91	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	92	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	93	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैवट सीट

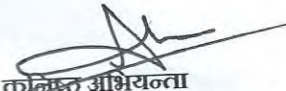
- 1- **परियोजना का नाम:-** जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	शून्य
नाप भूमि	1.800
वन पंचायत भूमि	1.400 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.660 है० मकड़म्पिंग हेतु = 2.06 है०
योग	3.86 है०

- 3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ
- 4-वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग
- 5-प्रस्ताव बांझड़िंग किया गया है - हाँ/नहीं
- 6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी नहीं है - हाँ/नहीं
- 7-क्या भारत सरकार के प्राख्य के मान-1,2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी नहीं है - हाँ/नहीं
- 8- क्या प्राख्य में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हाँ/नहीं
- 9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
- 10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
- 11-बाँझ प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
- 12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है - हाँ/ नहीं
- 13 - संमरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - हाँ/नहीं
- 14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। - हाँ/नहीं
- 15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। - हाँ/नहीं
- 16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। - हाँ/नहीं
- 17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। - हाँ/नहीं
- 18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। - हाँ/नहीं
- 19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। - हाँ/नहीं
- यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतियालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। - हाँ/नहीं
- 20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। - हाँ/नहीं
- 21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। - हाँ/नहीं
- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
- 22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। - हाँ/नहीं

- 23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - हाँ/नहीं
- 24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं
- 25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - हाँ/नहीं
- 27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
- 28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
- 29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है हाँ/नहीं
- 30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हाँ/नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ/नहीं
- 31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है हाँ/नहीं
- 32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है हाँ/नहीं
- यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं- हाँ/नहीं
- 33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं
- 34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- हाँ/नहीं
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- हाँ/नहीं
- 36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं- हाँ/नहीं
- प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है
- व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं


कुलपति अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अगस्त्यमुनि

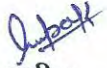
प्रतिवेदन

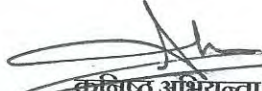
**परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई- गैर-
कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण ।**

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 748/
III (2) / 08 - 42 (प्रा०आ०) / 07 टी०सी० दि० 24-03-2008 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण
असंयोजित वसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 4.00
कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसकी धनराशी ₹ 147.00 लाख है। उक्त मार्ग के संमंरेखण में
पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मकड़िपगं हेतु	2000	7	1.400 + → 0.660 = 2.06
	वनभूमि का योग:-	2000		2.06
4	नाप भूमि	2000	9	1.800
	कुल योग:-	4000	-	3.86

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन
भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)


(Manoj Das)

Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा -2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

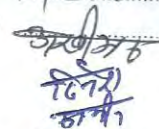
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

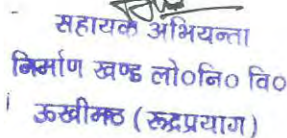
- | | | | |
|-------|---|----|---|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | :- | जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बाँसवाड़ा-किराई-जलई-गैर कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण। |
| (ii) | 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | :- | संलग्न |
| (iii) | परियोजना लागत। | :- | रु. 147.00 लाख |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- | ग्राम जलई, गैर आदि नजदीकी गाँवों को यातायात से आवागमन की सुविधा देना। |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने लिए)। | :- | लागू नहीं है। |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- | 45000 मानव दिवस |
| 2. | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। | :- | मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.06 हे. पचासी वन भूमि की आवश्यकता है। |
| 3. | परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। | :- | शून्य |
| (i) | परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| (ii) | अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| (iii) | पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। | :- | शून्य |
| 4. | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) | :- | मार्ग कार्य निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति आवश्यक है। |
| 5. | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) | :- | संलग्न |
| 6. | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा। | :- | विषय सूची के अनुसार। |

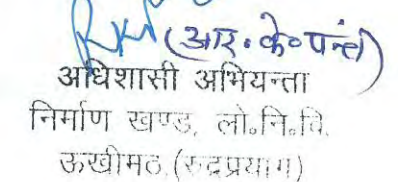
तिथि 16/3/2010

स्थान



5.5


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


(अ.के.पन्त)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र-3

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई- गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

- | | | |
|--------|--|---|
| (i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र। | :- उत्तराखण्ड |
| (ii) | जिला | :- रुद्रप्रयाग |
| (iii) | वन प्रभाग | :- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग |
| (iv) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टे.में) | :- 2.06 है. |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | :- पंचायती वनभूमि |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | :- 0.30 |
| (vii) | प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)। | :- सूची संलग्न है। |
| (viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | :- भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| (ix) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | :- 1.25 Km |
| (x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबद्धित की जाए) | :- नहीं |
| (xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। | :- नहीं |
| (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्तीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। | :- नहीं |
| 8- | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है। | :- प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है। |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | :- मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है अतः कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। |
| 10- | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा | :- संलग्न |
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक | :- संलग्न |

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर :- संलग्न
/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक :- संलग्न
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय :-
परिव्यय।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की :- संलग्न
उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से रुखन प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट :- संलग्न
विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें)
12. प्रभाग / जिला प्रोफाइल :- 1984 वर्ग किमी.
(i) जिले का वन क्षेत्र :- 1790.995 वर्ग किमी.
- (ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में :- 606.851 hae. 158 case
लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (iii) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल :- 1158.614 hae.
प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन :-
भूमि X
- (ख) वनेत्तर भूमिपर :-
- (अ) 2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई :-
प्रगति
- (क) वन भूमि पर :-
1158.614 hae.
- (ख) वनेत्तर भूमि पर :-
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को :- योजना विकास कार्य से
अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सम्बन्धित है सिफारिश की
विशेष सिफारिश। जाती है



दिनांक :-
स्थान:-

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-
इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
14. (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। :-
16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। :-
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।) :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश। :-

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग IV में :-
 किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई
 प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

हस्ताक्षर

दिनांक:-

नाम:-

स्थान:-

सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

प्रपक

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।
लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में नये कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महादय उपयुक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0 लो0नि0वि0 पोडी के पत्र सं0-1040/9/08 दिनांक 12-03-08, सं0-1001/(12)गोपेश्वर-पर्व0/08 दिनांक 07-03-08, सं0-1406/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08, सं0-1036(2)/36(492)याता-पर्व/08, दिनांक 10-03-08, सं0-1402/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08, सं0-1403/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08 तथा मुख्य अभियन्ता कु0क्ष0 लो0नि0वि0 अल्माडा के पत्र सं0-2509/1003 याता0-कुमायू/2008 दिनांक 11-03-08 के क्रम में एवं शासनादेश सं0-171/111-2/08-42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 17-01-08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि शासनादेश दिनांक 17-01-08 के क0-2 पर उल्लिखित शर्तों के क्रम में उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये 38 कार्यों के आगणन के कुल लागत रूपये 3785.09 लाख पर टी.ए.सी. वित्त परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 3603.10 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की संलग्न विवरण के कॉलम-6 के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महादय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जा दर शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि कायवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नगरीय स्वीकृत नगरीय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित कर।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर ल। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. उपर्युक्त कार्यों में से यदि कोई कार्य या उसका कोई भाग यदि किसी अन्य विभागीय/विभागीय बजट में

प्रमाणित
पति
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0
मुख्यमठ (रुद्रप्रयाग)

1195
314

शासनादेश संख्या-748 / 11(2)/08-42(प्र0आ0)/07 टी0सी0। दिनांक 24 मार्च 2008 का

क्र.सं.	शासनादेश सं0171/11(2)/08-42(प्र0आ0)07 टी0सी0। दिनांक 24 मार्च 2008 का	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	(घनराशि लाख रुपये में) टी0ए0 सी0 वित्त द्वारा आकलित घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	17	रुद्रप्रयाग से बासधाणा, किराड जलई गैर कण्डारा मोटर मार्ग	4.00	147.00	147.00
2	17	जनपद चमोली में दुगडडा बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	110.25	110.25
3	18	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधरे से खेती-जखेट चौरासेण तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	183.75	183.75
4	9	जनपद चमोली में गौचर-सिदोली मोटर मार्ग में खालीगाड से खरसाई-माठा -खाड मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	110.25	110.25
5	10	जनपद चमोली में विछौना मोटर मार्ग का विस्तार / पुनर्निर्माण	3.00	61.65	61.35
6	11	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग नैनीसेण-डिम्मर मोटर मार्ग डामरीकरण	3.00	75.60	75.60
7	12	जनपद चमोली में गौचर-शैल-दुवा-कांडा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	5.00	61.50	61.50
8	13	जनपद चमोली में उमदटा- मोणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.00	24.60	24.60
9	17	देहरादून में राजपुर नागल सहस्रधारा मार्ग रिग रोड गाडर पुल से चालंग गांव का सड़क नव निर्माण	1.50	127.37	118.00
10	23	देहरादून में सर्कुलर रोड से वैलहम स्कूल तक सड़क का चौड़ीकरण	1.46	15.93	13.09
11	45	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी - पुनशाली मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
12	46	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौठखाल-नांद मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
13	47	जनपद पौड़ी गढ़वाल में ध्वीडखाल-नैरुल मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
14	48	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मष्टखाल रैस मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	2.00	70.00	70.00
15	49	जनपद पौड़ी गढ़वाल में ढासी-कडघर मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
16	50	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाबर से पवेख ढौरी डाबर मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
17	51	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मालन नदी	60	97.90	97.44

प्रमाणित

प्रति

सहायक अभियंता

निर्माण खण्ड लोअर

कडोमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाणित

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-
कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय
स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (Page 13-16)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

—2—

10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
13. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
18. शेष सभी शर्तें उपरिलिखित शासनसदेश सं०-171/111-2/08-42(प्रा०आ०)/07 दिनांक 17-01-08 के अनुसार यथावत रहेंगी।
19. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-377/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 38 कार्यों की सूची।

भवदीय,
 (प्रदीप सिंह रावत)
 उप सचिव।

संख्या- 748 (1)/111(2)/08-42(प्रा.आ.)/07 टी०सी०॥ तददिनांक ॥
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त-गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

विशेषक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
 निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
 उप सचिव।

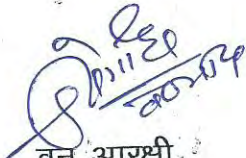
सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि० वि०
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

17

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 08-06-2016 को उपरोक्त प्रयोजना हेतु वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की पुनः गणना करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राम सिंह नेगी एवं लो.नि.वि. की ओर से श्री अंकित सुन्दरियाल (क.अ.) एवं श्री विष्णु दत्त नौटियाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया जिसमें पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु पंचायती वन भूमि में 111 वृक्षों का पातन निहित है, जिसकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।



वन आरक्षी
अखोड़ी बीट
(रुद्रप्रयाग)



अमीन
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



जoint Forest Officer
जनपद रुद्रप्रयाग



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.भाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र 6-1
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

18

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत
किरोई-जलई-गैर कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

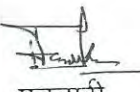
प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 29-09-2009 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सन्तोष कुमार वन दरोगा एवं श्री जगमोहन लोपाख्य व राजस्व विभाग की ओर से श्री जीतेन्द्र कुमार (पटवारी) एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री महेश चन्द्र काला (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री दिनेश चन्द्र सेमवाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु नाप भूमि एवं राज्य वनभूमि एवं पंचायती वनभूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित नाप एवं वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। प्रभावित होने वाली वनभूमि का क्षेत्रफल संलग्न लैण्ड शेड्यूल में स्पष्ट रूप से दर्ज है।

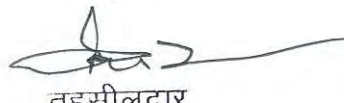
आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

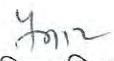

अमीन
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

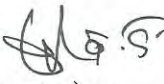

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

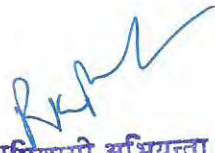

पटवारी,
भीरी


तहसीलदार,
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


उपजिलाधिकारी,
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी
मन्दाकिनी रेंज,
अंगरामुनि
वन क्षेत्राधिकारी
जगस्यमुनि रेंज


अविशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षर
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

पृष्ठ-7

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath (For diversion under FCA-1980) of 2.06 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for improvement of Banswara – Kiroe – Jalai – Gair - Kandara motor road The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-----.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 2.06 ha.g

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

a). The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and no work has been started without proper sanction.

b). It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation), Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place-----

Date-----

Name-----

Designation-----

Office Seal-----

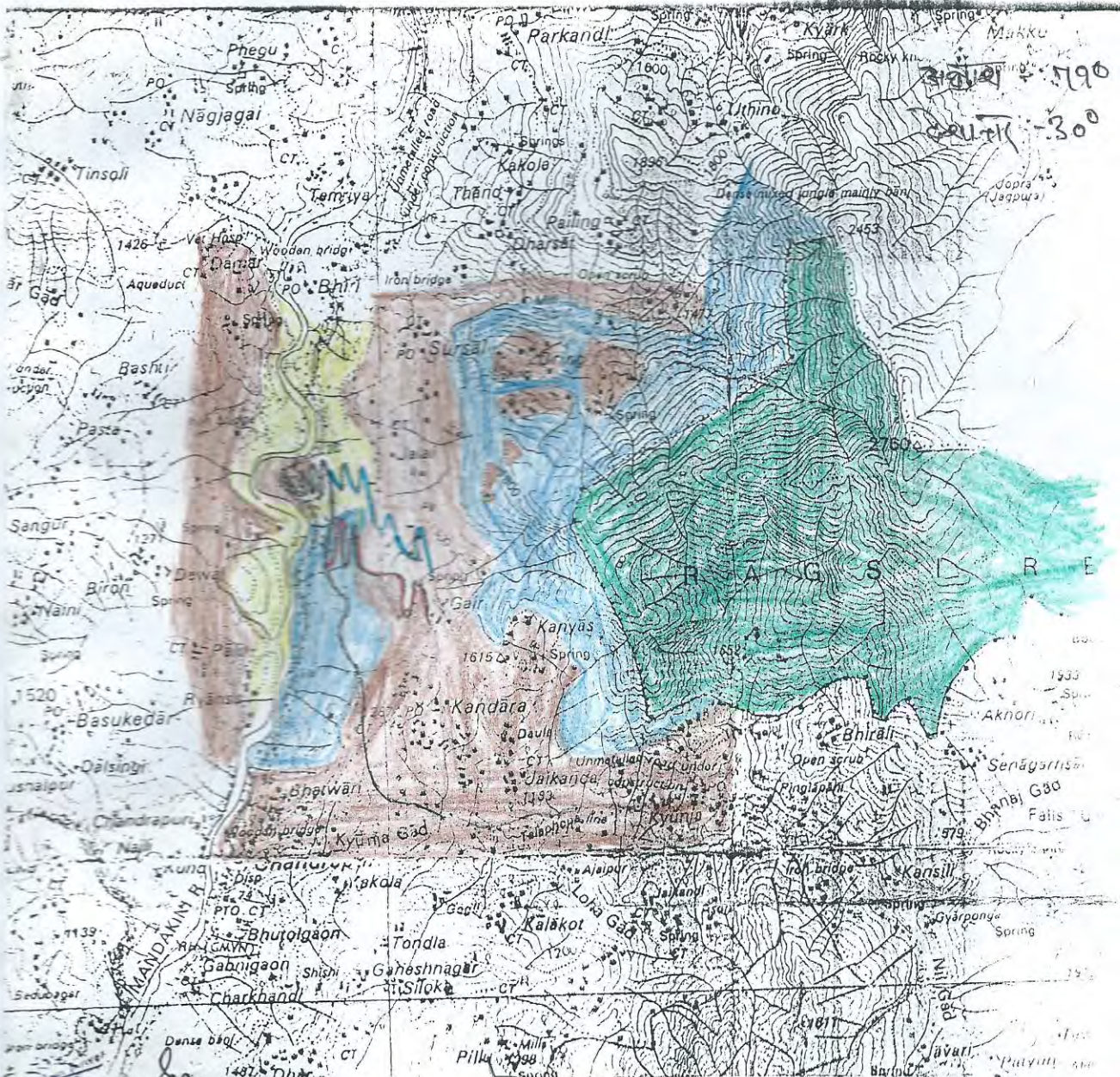
N.B. X State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted.

XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable. As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests

विषय - जनपद - रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बासवाड़ा कैनेरी
जर्नी-गेर-अपारा मोटर मार्ग का निर्माण

पैमाना - 1:50,000

20



सिद्धि
अमान
महेश्वरी
भोरी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कसीमठ (रुद्रप्रयाग)
न. ह. सी. एम. डार
कसीमठ (विपद आपात)

अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
कसीमठ (रुद्रप्रयाग)

- 1- स्थापित संरेखण -
- 2- वैकल्पिक संरेखण -
- 3- नाप भूमि -
- 4- राज्य भूमि -
- 5- पंचायतीवन भूमि -
- 6- आरक्षित वन भूमि -
- 7- मुख्य गैर मार्ग -

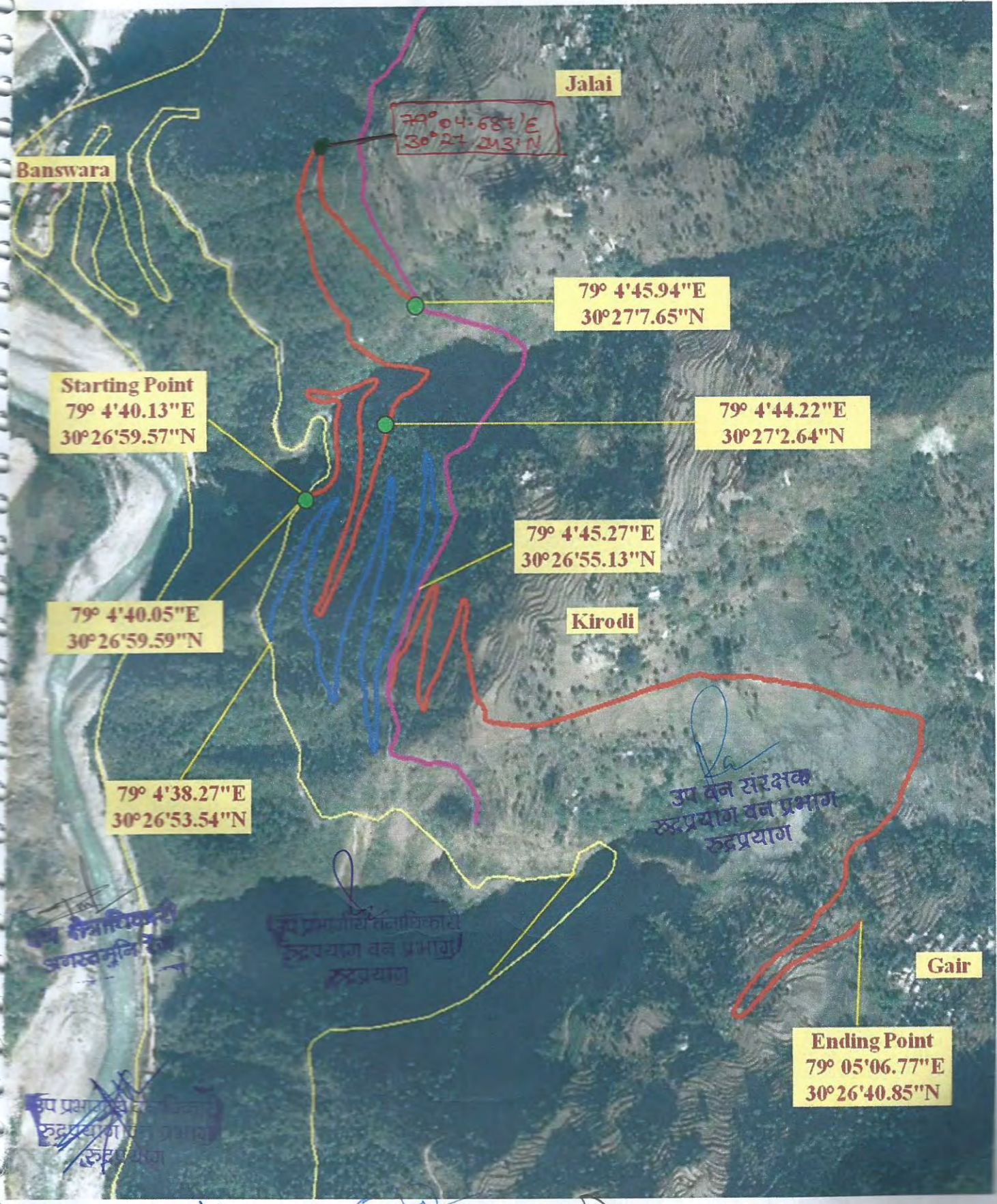
वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
अगस्त्यमुनि रज

प्रभावित
रुद्रप्रयाग विभाग
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षर
निर्माण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप
रुद्रप्रयाग विभाग
रुद्रप्रयाग

डिजिटल मैप - जनमद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा से किरोदी - जलई - गैरकण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई- 04.00 किमी0)



Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road

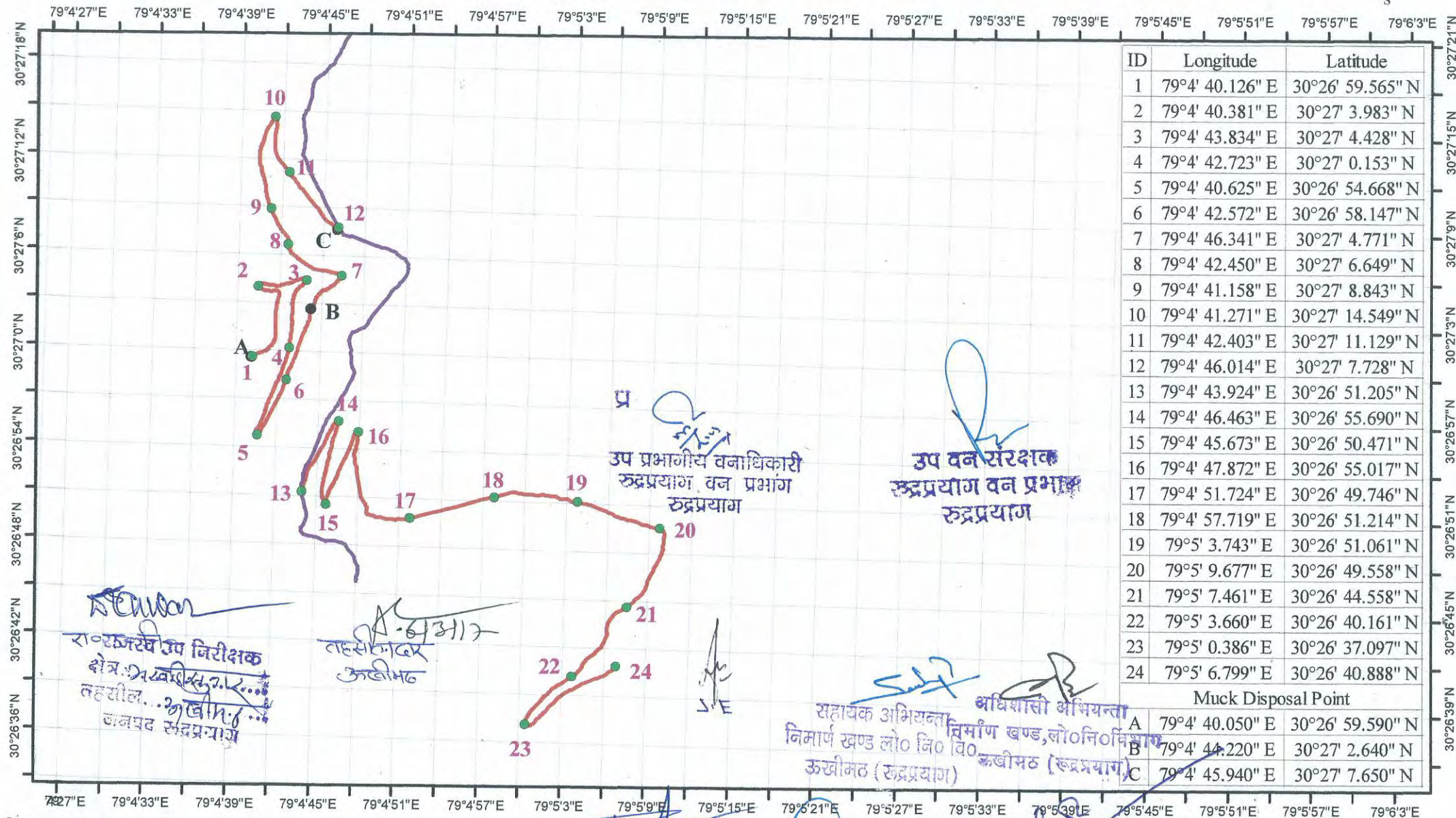
अधिकारी अभियन्ता
निर्माण वर्ष २००८ वि० वि०
प्रवीण (सहायक)
उप निरीक्षक
वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण वर्ष २००८ वि० वि०
प्रवीण (सहायक)
उप निरीक्षक
वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण वर्ष २००८ वि० वि०
प्रवीण (सहायक)
उप निरीक्षक
वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरीमठ (रूद्रप्रयाग)

जियोरेफेरेन्स मैप – जनमद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत बांसवाड़ा से किरोदी
– जलई – गैरकण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई- 04.00 किमी0)

0 0.5 1.0 2.0 Km
Scale - 1:10,000



Legnd

- Muck Disposal Point
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
अधिसासो अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
उपनिवाहिकारी ऊखीमठ

0 0.5 1 1.5 Km



-  Muck Disposal
-  Proposed_Road
-  Existing_Road
-  Reserve Forest
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

रा. राजस्थान जिरादक
क्षेत्र. राजस्थान...
तहसील...
जनपद...

वन क्षेत्र अधिकारी
मालवा

तहसीलदार
अरबीम

जिलाधिकारी

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० निर्माण
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

~~उपाधीकारि~~
~~अलीम~~

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन भूमि की मांग का औचित्य

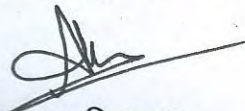
प्रस्तावित मोटर मार्ग बांसवाड़ा कणसील चन्द्रनगर मोहनखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से प्रारम्भ होगा, जो जलई किरोई, एवं गैर ग्रामों को जोड़ेगा। इस क्षेत्र में वन पंचायत (जलई), राज्य वन भूमि तथा नाप भूमि स्थित है, अतः बांसवाड़ा से जलई एवं गैर को जोड़ने हेतु वन भूमि का समरेखण पर पड़ना निश्चित है। समरेखण के चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है, कि समरेखण पर कम से कम वन भूमि पड़े तथा कम से कम वृक्षों का पातन की आवश्यकता हो।

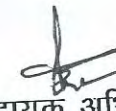
परियोजना से लाभ

प्रस्तावित मोटर मार्ग के बनने से जलई 1387, एवं गैर 178 बसावटों के ग्रामों (कुल आबादी 1565) को तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय पहुंचने के लिये 12 कि०मी० की दूरी कम तय करनी होगी।


अमीन

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

तुलनात्मक विवरण

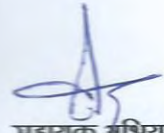
क्र.सं.	मार्ग का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएं एवं विवरण	यह संरेखण बांसवाड़ा-कणसिल-चन्द्रनगर मोहनखान मोटर मार्ग के किमी. 3.00 से प्रस्तावित है। यह संरेखण 4.00 किमी. के लिए है। ग्राम गैर काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को काफी पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम गैर एवं किरोदी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेगा।	यह संरेखण बांसवाड़ा-कणसिल-चन्द्रनगर मोहनखान मोटर मार्ग के किमी. 2.00 से प्रस्तावित है। यह संरेखण 5.00 किमी. के लिए है। ग्राम गैर काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को काफी पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम गैर एवं किरोदी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेगा।
2.	प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	4.00 किमी.	5.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) पंचायत/राज्य वन भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित (स) सिविल भूमि (वन पंचायत)	शून्य 1.90 किमी. शून्य 1.90 किमी. 2.10 किमी.	शून्य 2.25 किमी. शून्य 2.25 किमी. 2.75 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	कांटेदार झाड़ियाँ	कांटेदार झाड़ियाँ
9.	मार्ग का ढाल	1:22 प्रतिशत	1:22 प्रतिशत
10.	अनुप्रस्थ ढाल--1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	4.00 किमी. शून्य	5.00 किमी. शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	2.10 किमी. शून्य	शून्य 2.00 किमी.

परियोजना का नाम— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-
मैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

वैकल्पिक संमंखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

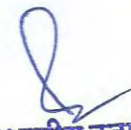
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न
उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया
गया।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उपप्रभागीय वन अधिकारी
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
	2	3	4
1		शून्य	शून्य
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	शून्य शून्य	शून्य शून्य
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा ! तंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या जलई 00210800 1387 गैर 00211400 178	समरेखण नं. 1 अनुसार
	(ब) अप्रत्यक्ष रूप से	शून्य	शून्य
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह सररेखण बांसवाड़ा-कणसिल-चन्द्रनगर मोहनखान मोटर मार्ग के किमी. 3.00 से प्रस्तावित है। यह सररेखण 4.00 किमी. के लिए है। ग्राम गैर काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को काफी पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम गैर एवं किरौदी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेगा। जिससे इस क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	यह सररेखण बांसवाड़ा-कणसिल-चन्द्रनगर मोहनखान मोटर मार्ग के किमी. 2.00 से प्रस्तावित है। यह सररेखण 5.00 किमी. के लिए है। ग्राम गैर काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को काफी पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम गैर एवं किरौदी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेगा। जिससे इस क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी महत्व होगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19.	हेयर पिन बैंड	07 नं.	09 नं.

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलू, माल्टा, नीबू, नारंगी व. दालो आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 2. ग्रामवासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 4. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है।	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. ग्रामवासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 3. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 4. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मागतकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है।

Mandor
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

CSM
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

f.f.
अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photoduply Attached

कोटि प्रति प्रमाणित
[Signature]
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
A-E

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बोंसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 2.06 है। वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

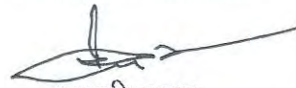

अमीन,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


पटवारी,
भीरी

वन क्षेत्राधिकारी,
मन्दाकिनी रेंज,
अमरनाथ
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज

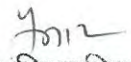

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


तहसीलदार,
ऊखीमठ
ऊखीमठ (जनपद रुद्रप्रयाग)

प्रभागीय वन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप जिलाधिकारी,
ऊखीमठ


प्रति हस्ताक्षर
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

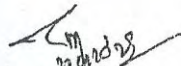
सारांश

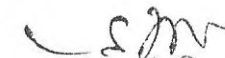
(24)

संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 4.00 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कटोर चट्टान, कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

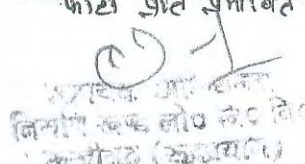
फोटो प्रति प्रामाणिक

निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo copy Attested

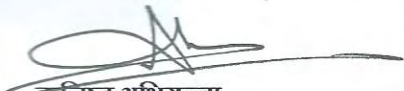

A. E.

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई- गैर-
कण्डरास मोटर मार्ग का निर्माण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण
का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (हे.ने)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	2.06	111	2.00	-
संरेखण-2	2.50	130	2.00	अधिक वृक्षों का पातन व वनभूमि प्रभावित हो रही है।

उक्त दोनों समरेखणों में से समरेखण न० 1 (एक) उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-15

लैन्ड शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलाई-
गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण ।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है.)
←			शून्य		→	



अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



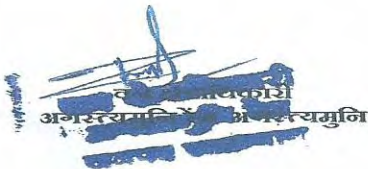
सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-16

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई- गैर-
कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मकड़म्पिंग हेतु	2000	7	1.400 + 0.660 = 2.06
	वनभूमि का योग:-	2000		2.06
4	नाप भूमि	2000	9	1.800
	कुल योग:-	4000	-	3.86


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

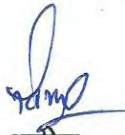

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

लैन्ड शेड्यूल

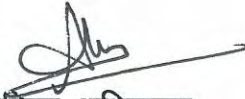
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-
किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

भूमि की श्रेणी:- वन पंचायत (जलई)

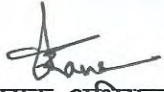
जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल एकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है.)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	अगस्त्यमुनि	6215 6216	2.460 1.352	2000	7 (मक 0.660)	1.400 + 0.660 2.06



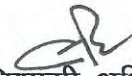
अमीन
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



राजस्व उपनिरीक्षक



तहसीलदार


उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

वारचार्ट

परियोजना का नाम:-

जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बॉसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।



आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)	शून्य
सिविल एवं सोयम वन भूमि	शून्य
वन पंचायत भूमि	1.400 + 0.660 मण्ड हेक्
नाप भूमि	

अमीन,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

पटवारी,
भीरी

वन क्षेत्राधिकारी,
मन्दाकिनी रेंज,
अगस्त्यमुनि रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तहसीलदार,
ऊखीमठ
(जनपद रुद्रप्रयाग)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप जिलाधिकारी,
ऊखीमठ

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-18कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निरमाण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



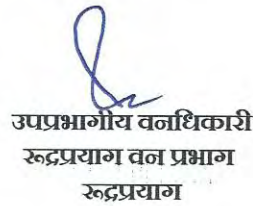
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र अगस्त्यमुनि

पत्रांक 893 / 12-1 दिनांक 30/6 / 2016

सेवा में

उप वन संरक्षक

रुद्रप्रयाग वन प्रयाग रुद्रप्रयाग

द्वारा - उचित माध्यमः

विषय - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग (2.06 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ - आपका पत्र सं० 2098 / 12-1(2) दिनांक 20-02-2016।

महोदय

आपका सन्निहित दिषयक पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि इस राजि क्षेत्रान्तर्गत विषयगत मोटर मार्ग का वन संयुक्त निरीक्षण श्री राम सिंह नेगी वन आरक्षी अखोड़ी बीट द्वारा श्री अकित सुन्दरियाल कनिष्ठ अभियन्ता गि०ख०लो०नि०वि० कस्बोगढ को साथ में लेकर दिनांक 08-06-2016 को किया गया। जांच आख्या में उनके द्वारा विषयगत भूमि पर विभिन्न प्रजाति के 111 वृक्षों की गणना सूचना निम्न प्रकार से की गयी है-

क्र० सं०	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग (सेमी० में)										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 Over	
1	मुना	26	52	0	0	0	0	0	0	0	0	78
2	वहज	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20
3	सेमल	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	चीड़	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
5	शुई	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	6
6	कपल	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	जायफल	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	योग	37	67	3	2	1	1	0	0	0	0	111

कुल एक सौ ग्यारह वृक्ष।

अतः सूचना एवं वन आरक्षी की जाच आख्या महोदय की सेवा में प्रेषित।

उपस्थित

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रयाग रुद्रप्रयाग

अकित सुन्दरियाल
कनिष्ठ अभियन्ता

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र अगस्त्यमुनि

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलाई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 8-06-2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पंचायती वनभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	वन पंचायत भूमि जलाई	मवा	26	52	-	-	-	-	-	-	-	-	78
2		बाँज	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	20
3		सेमल	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
4		चीड़	-	-	-	01	01	01	-	-	-	-	03
5		सुरई	01	02	03	-	-	-	-	-	-	-	06
6		काफल	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	02
7		जामुन	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		योग	37	67	03	02	01	01	-	-	-	-	111

वन अधिकारी
अगस्त्यमुनि
रुद्रप्रयाग

उपप्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ों का कुल मूल्य ₹ ^{31376.00} ~~27920.00~~ आंकलित किया जाता है।


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रज अगस्त्यमुनि
जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिविल सोयम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत	37	67	03	02	01	01	-	-	-	-	111
	योग	37	67	03	02	01	01	-	-	-	-	111
4	नाप भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल योग	37	67	03	02	01	01	-	-	-	-	111

वन क्षेत्राधिकारी
अ. गस्त्यमून रज. अ. गस्त्यमून
रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय बनायिकारी
उपप्रभागीय वन प्रभाव
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन प्रभाव
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वृक्षों की मूल्य सूची

(39)

**परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई- गैर-
कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण ।**

क्र.सं०	ब्लाक /ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से०मी०	दर प्रति पेड़	कुल धनराशी	टिप्पणी
1	वन पंचायत भूमि जलई	मवा	andromeda	26	0-10	50.00 56.00	1300.00 1456.00	
		-	-	52	10-20	80.00 90.00	4160.00 4680.00	
2		बाँज	Quercus leucotrichophora	10	0-10	50.00 56.00	500.00 560.00	
		-	-	10	10-20	145.00 163.00	1450.00 1630.00	
3		सेमल	Bombax ceiba	01	30-40	3320.00 3730.00	3320.00 3730.00	
4		चीड़	Pinus roxburgii	01	30-40	2330.00 2618.00	2330.00 2618.00	
		-	-	01	40-50	5070.00 5697.00	5070.00 5697.00	
		-	-	01	50-60	8565.00 9624.00	8565.00 9624.00	
5		सुरई	Cupressus torulosa	01	0-10	75.00 84.00	75.00 84.00	
		-	-	02	10-20	130.00 146.00	260.00 292.00	
		-	-	03	20-30	180.00 202.00	540.00 606.00	
6		काफल	Andromeda	02	10-20	80.00 90.00	160.00 180.00	
7		जामुन	Sygzium cumini	01	10-20	190.00 213.00	190.00 213.00	
	योग	-	-	111	-	-	27920.00 31370.00	

वन प्रशासक
अगस्त्यमणि रज अगस्त्यमणि

उपप्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

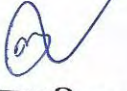
उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

पृष्ठ - 21

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले 111 (एक सौ ग्यारह) वृक्षों का पातन किया जाना है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्र अधिकारी
अगरतुमनि रेंज, अगरतुमनि
रुद्रप्रयाग


उप-प्रभागिय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


वन संरक्षक
प्रभागिय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र - 22

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई- गैर-
कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु
प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण
के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1.	वन पंचायत भूमि जलई	बाँज	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	20

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)



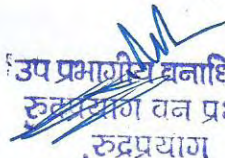
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)



वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग



उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलाई-
गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

पृष्ठ-25

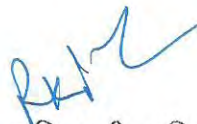
राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बॉसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बॉसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित ~~पंचायती~~ वन भूमि कि.मी. 0.00 से कि.मी. 2.00 के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग से वन्य जीव विहार/अभ्यारण्य की दूरी ~~30.00~~ ^{7.25} कि.मी. है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्राधिकारी,
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज


उप प्रभाग प्रमुख,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभाग प्रमुख,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

रैवका में श्रीमान लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड एम्पीएम४ जनपद रुद्रप्रयाग.

महोदय:

निवेदन है कि आपके विभाग द्वारा ग्राम गैर में
मोटर मार्ग डेलू सर्वे हुआ है, जिसमें हम समस्त ग्रामवासी
अपनी भूमि देने को सहमत हैं,

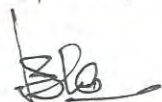
अतः अनुरोध है कि निवेदन है कि ग्राम
गैर मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य जल्द शीघ्र
करके का कार्य करे,

(भवदीय)

समस्त ग्रामवासी
गैर
जनपद रुद्रप्रयाग
(उत्तरखण्ड)

प्रमाणित किया जाता है समस्त ग्रामवासी गैर
वाले अपनी भूमि देने को तैयार हैं,

प्रमाणित बाया प्रति



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोकनि० वि०
ऊखीमट (रुद्रप्रयाग)

ग्राम ग्राम सभा
कठारा



समज दिनांक 27.4.08 को ग्राम जलई की
आम बैठक ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई
जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किया गया,

शासन द्वारा बांसवाड़ा से किरीटू जलई और
मार्ग स्वीकृत है, बांसवाड़ा से किरीटू जलई और मार्ग
किसी भी परिवार की नाप भूमि नहीं है, यह भूमि
शर्मा लक्ष्मी से बंजर है, जोकि गांव की अपनी है,
इस भूमि पर और मार्ग निर्माण से किसी लाभकारी
की कोई आपत्ति नहीं है,

पंचायत इस अनुरोध के साथ यह प्रस्ताव
पेशित कर रही है कि उक्त स्वीकृत और मार्ग का
निर्माण कार्य शीघ्रता से शीघ्र करने की कृपा
की जाएगी,

समस्त ग्रामवासी,

प्रधान ग्राम जलई (लाहल)

श्री कृष्ण गौरी - सिद्धांत

नरेश सिंह बिष्ट -

मि. सिंह भादारी - सिद्धांत

श्रीमती शास्त्री शान्ती

हिमालय सिंह शिवाय

मालती सिंह

सिद्धांत

रुद्रा

समलाल

श्री

बाशीर

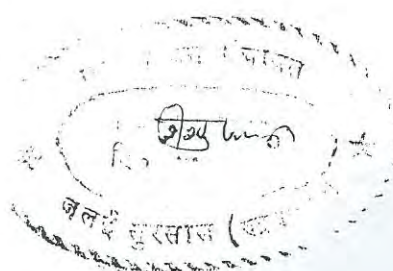
उमैद सिंह

आशुतोष

शेखन लाल

विशाल

दीपक



जलई देवी



प्रमाणित दायी
पति

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सेवा में

आधेखासी अभियन्ता मद्योदय
लो० नि० विभाग खण्ड ऊखीमठ
उत्तराखण्ड सरकार देहरादून

गद्योदय, वासवाड जलई-गैर स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण
हेतु अनापत्ति प्रमाण प्रमाण पत्र निम्न प्रकार प्रेषित

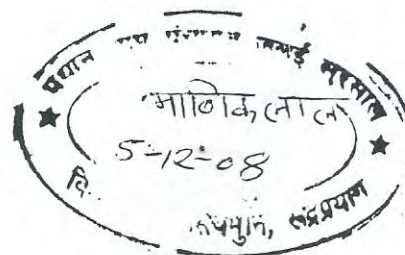
ग्राम जलई के समज नागरिकों की ओर से मैं ग्रामपंचायत
प्रधान वासवाड जलई गैर स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण के
निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने पर विभाग का पूरा-2 सहयोग
किये हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, और निम्नानुसार
कार्य में गाहिलाने का ऊद्योग कर रहा हूँ, सड़क की स्वीकृति
पर सभी लोग सहमत हैं,

प्रधान

प्रमाणित किया प्रति



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 14/8/15 at time 2 P.m at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 2.06 hect for Transfer of Banswara-kiror-jalai-Gair-Kandara Motor Road. of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated: 14/8/15

Raghar
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag

Form-I

(For linear projects)

Government of uttarakhand

Office of the District collector- Rudraprayag

No. 9A

Dated 14/8/15

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (2.06) hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Ukhimath Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Banswara-kiroe-jalai-Gair-Kandara Motor Road. (purpose for diversion of forst land) in Rudraprayag - district falls within jurisdiction of jalai villages in Ukhimath tehsil

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire (2.06) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sahha(s) Sub-Division Level Commtee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure 1and annexure 2.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre-agricultural communities.

Encl As above.

Signature
 जिला अधिकारी
 Signature

(Full name and official seal of the District collector)

परियोजना का नाम:-जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,- ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण- प्रत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, - ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण। पंचायती वन भूमि 2.06 है। अर्थात् कुल (2.06) है। वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-ऊखीमठ) की दिनांक 25/6/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता श्री उत्तम सिंह चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 1- श्री <u>उत्तम सिंह चौहान</u> | उप जिलाधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>सुधीर शर्मा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>इम्रान मल्लिक</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>सुभाष चन्द्र</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | <u>जलई-गैर</u> | सदस्य |
| 5- श्री <u>प्रमिला भण्डारी</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | <u>कण्डारा</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।** परियोजना हेतु (2.06) है। वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/अवेगन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति / समिति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(सुभाष चन्द्र)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-जलई-गैर-कण्डारा (रुद्रप्रयाग)

(प्रमिला भण्डारी)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-कण्डारा
वि.अ.अवस्थानुवि.जनपद रुद्रप्रयाग

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड - ऊखीमठ परिक्षेत्र के जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा- किरौड़-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (2.06) है. वन पंचायती भूमि का लो.नि.वि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1.

[Signature]
उपप्रधान जिलाधिकारी
उपखण्ड वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

2.

[Signature]
श्री. वि. क. (भा.व.)
अधीनस्थ अगस्त्यमुनि

3. बी.डी.सी. सदस्य-----

[Signature]
प्रमिला देवी
(प्रमिला भण्डारी)
सदस्य

4. बी.डी.सी. सदस्य-----

क्षेत्र पंचायत-ऊखीमठ
वि.अ.अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग

[Signature]
(सुभाष चन्द्र)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-ऊखीमठ-सुरसाल
वि.अ.अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रुद्रप्रयाग

Mo- R-28/ST, विविध-120/5/दि० 26.5-15
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

आमसभा का प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - जलई ,

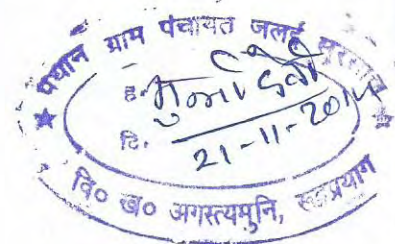
तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रुद्रप्रयाग,

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु पंचायती वन भूमि 2.06 है. अर्थात् कुल 2.06 है. पंचायती वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जलई द्वारा दिनांक 21-11-14 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित पंचायती वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पंचायती वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत जलई के ग्रामवासियों को उक्त पंचायती वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रधान

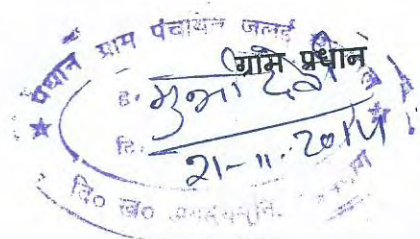
ग्राम पंचायत

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 21-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - जलई

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री. जगजीत सिंह बिष्ट (श्री. हरि)	जगजीत सिंह
2	श्री. विजयपाल सिंह बिष्ट ग्राम - सरसंग जलई	
3	श्री. लक्ष्मण सिंह बिष्ट श्री. सुन्दर मेजर	
4	श्री. खेमपाल सिंह बिष्ट (व. नागरिक)	खेमपाल सिंह
5	श्री. लक्ष्मी सिंह बिष्ट अध्यक्ष: न. कुंज न. जलई	लक्ष्मी देवी
6	श्री. बंसी देवी कपूर अध्यक्ष: गुरु न. जलई	
7	श्री. नंद सिंह रावत व. सरसंग जलई	नंद सिंह
8	श्री. जयदीप सिंह बिष्ट व. खेमपाल सरसंग जलई	जयदीप
9	श्री. उमा देवी बिष्ट गोपालाध्यक्ष - न. कुंज न. जलई	उमा देवी
10	श्री. चन्द सिंह बिष्ट (श्री. नागरिक)	चन्द सिंह



परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

आमसभा का प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कण्डारा ,

तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रुद्रप्रयाग,

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु पंचायती वन भूमि 2.06 है। अर्थात् कुल 2.06 है। पंचायती वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कण्डारा द्वारा दिनांक 23/12/14 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित पंचायती वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह के वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पंचायती वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमिति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत कण्डारा के ग्रामवासियों को उक्त पंचायती वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-
किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 23/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - कण्डारा

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	देव सिंह नेनी	devesingh
2	कुंवर सिंह नेनी	कुंवर सिंह
3	शिवपाल सिंह नेनी	शिवपाल सिंह
4	सत्ये सिंह नेनी	सत्ये सिंह
5	आगर सिंह	आगर सिंह
6	बलवीर सिंह बिष्ट	Balbir Singh
7	रणवीर सिंह बिष्ट	रणवीर सिंह
8	शिव सिंह बिष्ट	शिव सिंह
9	कुंवर सिंह बिष्ट	Kunwar Singh
10	मीरा देवी	मीरा देवी



- (घ) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ङ.) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटको का प्रयोग किये सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये।
- (च) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जाये, अन्यथा उस भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।
- (छ) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
- (ज) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
- (झ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
- (ण) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-

- (i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ii) समरेखन में एक ही हिल फेस पर नियोजित किये गये हेयर पिन वैण्ड्स पास-पास होने की स्थिति में मार्ग की आर्म्स के मध्य दूरी कम रहेगी। तीव्र ढलान पर over burden material होने की स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

5. बांसवाड़ा से किरोदी जलई गैर कण्डारा मोटरमार्ग हेतु 4.00 कि.मी लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग अवगत कराया जाये।
- (2) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो0 नि0 वि0, देहरादून द्वारा सगंस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्राव 7272/8(1)याता0-उ0/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

प्रमाणित दाता

सहायक अभियन्ता

जि.नं. 7272/8(1)याता0-उ0/ 05

कठौली (सुदप्रयाग)

H. Kumar
20.3.09
मुख्य अभियन्ता
कार्यालय मुख्य अभि स्तर-1
लो. नि. वि. 7272/8(1)याता0-उ0/ 05

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून

57

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 47/1993/09
जनपद रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा से किरोदी जलई गैर कण्डारा मोटरमार्ग हेतु
प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अभिनि ध्या
प्रति

रुद्र

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

मार्च 2009

कार्ड नं० 16140/09

जनपद रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा से किरोदी जलई गैर कण्डारा मोटरमार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अन्तर्गत 4.00 कि०मी० लम्बाई में बांसवाड़ा से किरोदी जलई गैर कण्डारा मोटरमार्ग का निर्माण किया जाय प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.1.2009 को सम्बन्धित ~~खण्ड~~ कनिष्ठ अभियन्ता श्री महेश काला के साथ निरीक्षण किया गया।
2. राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा से किरोदी जलई गैर कण्डारा मोटरमार्ग का 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखन बनाये गये हैं। समरेखन संख्या दो के तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त न होने एवं ग्रामवासियों की असहमति भी होने के कारण निर्माण खण्ड लो०नि०वि० ऊखीमठ द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन बांसवाड़ा चन्द्रनगर मोहनखाल मोटरमार्ग के कि.मी. 3 (हैक्टा 2 से 4) से हिल साईड में आरम्भ होता है। लगभग 2.1 कि.मी. लम्बाई पूर्ण करने के बाद ^{थे} परकण्डा जलई कण्डारा मोटरमार्ग से जुड़ता है। इसके बाद 1.625 कि.मी. लम्बाई में परकण्डा जलई कण्डारा मोटरमार्ग का अनुसरण किया गया है। स्वीकृत 4.00 कि.मी. लम्बाई में से शेष 1.9 कि.मी. लम्बाई में गैर गांव से जलई गांव की ओर समरेखन प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित समरेखन (2.1 कि.मी. तथा 1.9 कि.मी.) दो अलग-अलग भाग में है। समरेखन की प्रथम 2.1 कि.मी. लम्बाई वन पंचायत भूमि से गुजरती है, जिसमें चैनेज 0.275, 0.875 तथा 1.65 कि.मी. में कुल तीन एच. पी. बैण्ड्स दिये गये हैं। शेष 1.9 कि.मी. लम्बाई नाप भूमि से गुजरती है, जिसमें चार एच. पी. बैण्ड्स हैं जो चैनेज 4.250, 4.500, 5.050 तथा 5.100 में दिये गये हैं। बाद के दो बैण्ड्स अत्यधिक पास-पास हैं। नाप भूमि की तुलना में वन पंचायत भूमि में पहाड़ी ढलान अपेक्षाकृत तीव्र है। अतः इस भाग में मार्ग कटान में सावधानी अपेक्षित होगी। समरेखन क्षेत्र में शिस्ट तथा क्वार्ट्जाइट चट्टान है तथा नाप भूमि में मिट्टी/ डेब्री है।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह नापेक्ष में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।
 - (ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।
 - (ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये। पास-पास ^{स्थित} बैण्ड्स के मध्य यथासम्भव दूरी बढ़ाई जाये तथा एक के ऊपर दूसरा बैण्ड न बनाया जाये।

प्रमाणित द्वारा
प्रति

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि० वि०

ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



प्रमुख अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

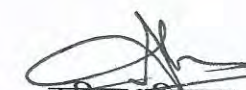
Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

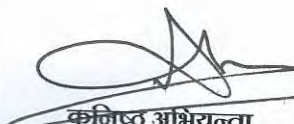
मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
- 3- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
- 6- परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ब्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेख-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुनारो रख-खाव किया जायेगा
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकरक के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर श्रेयण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उतखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का

प्रमाण-पत्र

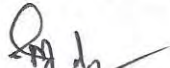
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बोंसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


अमीन,

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठा अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


पटवारी,

भीरी

वन क्षेत्राधिकारी,
मन्दाकिनी रेंज,

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज


सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


तहसीलदार,

ऊखीमठ

प्रभागीय वन्याधिकारी,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप जिलाधिकारी,

ऊखीमठ

प्रति हस्ताक्षर

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

36
उप प्रभागीय वन्याधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा। जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-
गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

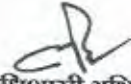
लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रथमतः परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	जलई	1387	346
2.	गैर	178	45


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तृतीय चरण

1	वनीकरण चौकदार 12 माह	2.8000	₹0	483.00	16228.80
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर धास/कालाबांसा)	2.8000	₹0	1329.00	3721.20
2	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	2.800		L.S	4480.00
	य- प्रोत्साहन	2.800		L.S	2520.00
	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	560	₹0 / पौधा	5.65	3164.00
	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण करना	560	₹0 / पौधा	3.10	1736.00
3	पौधों का ढुलान कार्य करना	560	₹0 / पौधा	6.20	3472.00
	गड्ढों में गोबर खाद डालना मय ढुलान सहित	560	₹0 / पौधा	1.37	767.20
	शीतकाल में मलधिग सहित कार्य	560	₹0 / पौधा	1.15	644.00

तृतीय चरण का योग

36733.20

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹0	483.00	16228.80
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8000	₹0	320.00	896.00

चतुर्थ चरण का योग :-

17124.80

पंचम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹0	483.00	16228.80
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8000	₹0	320.00	896.00

पंचम चरण का योग :-

17124.80

छठवां चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹0	483.00	16228.80
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8000	₹0	320.00	896.00

छठवें चरण का योग :-

17124.80

सातवां चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹0	483.00	16228.80
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8000	₹0	320.00	896.00

सातवें चरण का योग :-

17124.80

आठवां चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹0	483.00	16228.80
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8000	₹0	320.00	896.00

आठवें चरण का योग :-

17124.80

नवम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹0	483.00	16228.80
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8000	₹0	320.00	896.00

नववें चरण का योग :-

17124.80

दशम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹0	483.00	16228.80
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.8000	₹0	320.00	896.00

दशवें चरण का योग :-

17124.80

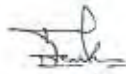
5-कुल व्यय सारांश प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1	प्रथम वर्ष	147890.40
2	द्वितीय वर्ष	95998.00
3	तृतीय वर्ष	36733.20

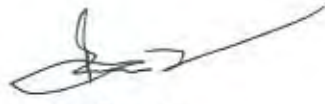
वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बॉसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

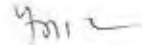
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 2.06 है। वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 3.62 लाख प्रति है। है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु0 7.45 लाख होता है।



पटवारी,
भीरी



तहसीलदार,
ऊखीमठ



उप जिलाधिकारी,
ऊखीमठ

प्रति हस्ताक्षरित

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रति हस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग (2.06 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 2.00 किमी०।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल - जलई सिविल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस० एस० पी०)

क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल		<u>4.12</u> 2.800	है०	
क्र०	रोपित प्रजातियां	संख्या		
4	बांज	1500		
5	भीमल	1000		
5	सीरस	1100		
6	कचनार	2000		
	योग	5600		
	रोपित कुल पौध	5600		

प्रथम चरण

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	2.8000	है०	81.00	226.80
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	2.8000	है०	2627.00	7355.60
3	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	2.8000	है०	22275.00	62370.00
4	गड्ढों का खुदान (0.30x0.30x0.45cum) रेखांकन सहित	5600	प्र० ग०	5.60	31360.00
5	निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है० 100र०मी० लम्बी व 0.60मी० चौड़ी)	168.000	वर्ग मी०	12.40	2083.20
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	5600	प्र० सं०	4.40	24640.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयन्त्र औजार तैज करना	2.8000	है०	645.00	1806.00
8	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान)	2.8000	है०	6446.00	18048.80
प्रथम चरण का योग					147890.40

द्वितीय चरण

1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	5600	सं०	1.00	5600.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	5600	सं०	1.25	7000.00
3	पौध डुलान कार्य	5600	सं०	6.20	34720.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	5600	सं०	1.95	10920.00
5	निराई गुड़ाई करना प्रथम बार	5600	सं०	1.33	7448.00
6	निराई गुड़ाई करना मय मलचिंग कार्य द्वितीय बार	5600	सं०	1.15	6440.00
7	खाद व दवा पर व्यय	2.8000	है०	1000.00	2800.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (वाचर 1)	2.8000	प्र० है० / माह	483 प्रतिमाह / प्रति है०	16228.80
9	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीधास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर धास/काला बांसा)	2.8000	है०	1329.00/ Heac	3721.20
	8.2 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	2.800		L.S	1120.00

कुलयोग द्वितीय चरण

95998.00

4	चतुर्थ वर्ष	17124.80
5	पंचम वर्ष	17124.80
6	छठवें वर्ष	17124.80
7	सातवां वर्ष	17124.80
8	आठवां वर्ष	17124.80
9	नवम् वर्ष	17124.80
10	दशम वर्ष	17124.80
कुल व्यय रुपये		400495.20
सिलिंग के अनुसार देय दर / 230302 143000.00 रु०/है०		4-12 2800 Hac 400400.00
		5862258 644846.20

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप प्रभाग वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

पृष्ठ- 43

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलाई-गैर-
कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल जलाई सिविल भूमि में वयनित किया गया है जो कि निरीक्षण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है।


वनक्षेत्र अधिकारी
बांसवाड़ा


उपप्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जनपद रूढ़ प्रसाद फसली सन् १४१४ से फसली सन् १४१८ तक

VAN BHUMI- Partiker-Sheet49-1

ROAD

10

22

21

22

12

रवि
काम

रवि

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

रवि 2 26 2021
रवि
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

रवि
17/3/2021

रवि

रवि
ऊखीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
जगस्थमुनि रज

अभिजासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

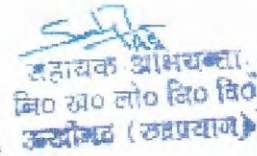
एम.ओ.यू. / अन्डरटेकिंग

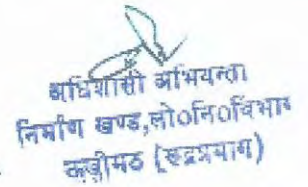
परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बाँसवाड़ा – किरोई – जलई – गैर – कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

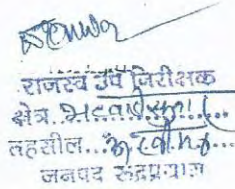
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बाँसवाड़ा – किरोई – जलई – गैर – कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली **2.06** है. वन भूमि के दुगने अवतन अर्थात **4.12** है. सिविल सोयम भूमि जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में वर्णित है, में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

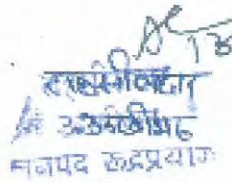
क्र.सं.	खसरा नं.	कुल रकवा (है.)	अर्जित रकवा (है.)	खता खतोनी सं.	भूमिधर का नाम	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	6212	0.201	4.12	74	उ० सरकार	बंजर
2	6213	5.893		74		बंजर
3	6405	8.153		43		


७८.


सहायक अभियन्ता
जि० ए० लो० वि० वि०
ऊर्ध्वमंड (रुद्रप्रयाग)


बधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० वि० वि०
ऊर्ध्वमंड (रुद्रप्रयाग)


राजस्व एवं निरीक्षक
क्षेत्र. रुद्रप्रयाग
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग


राजस्व अधिकारी
ऊर्ध्वमंड
जनपद रुद्रप्रयाग


अभियन्ता
उपनिर्देशिका
ऊर्ध्वमंड
जनपद रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

डिजिटल मैप - जनमद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा से किरोदी - जलई - गैस्कण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Legend



Proposed Plantation

Lagan
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

5/4

अध्यापक
अध्यापक
रुद्रप्रयाग

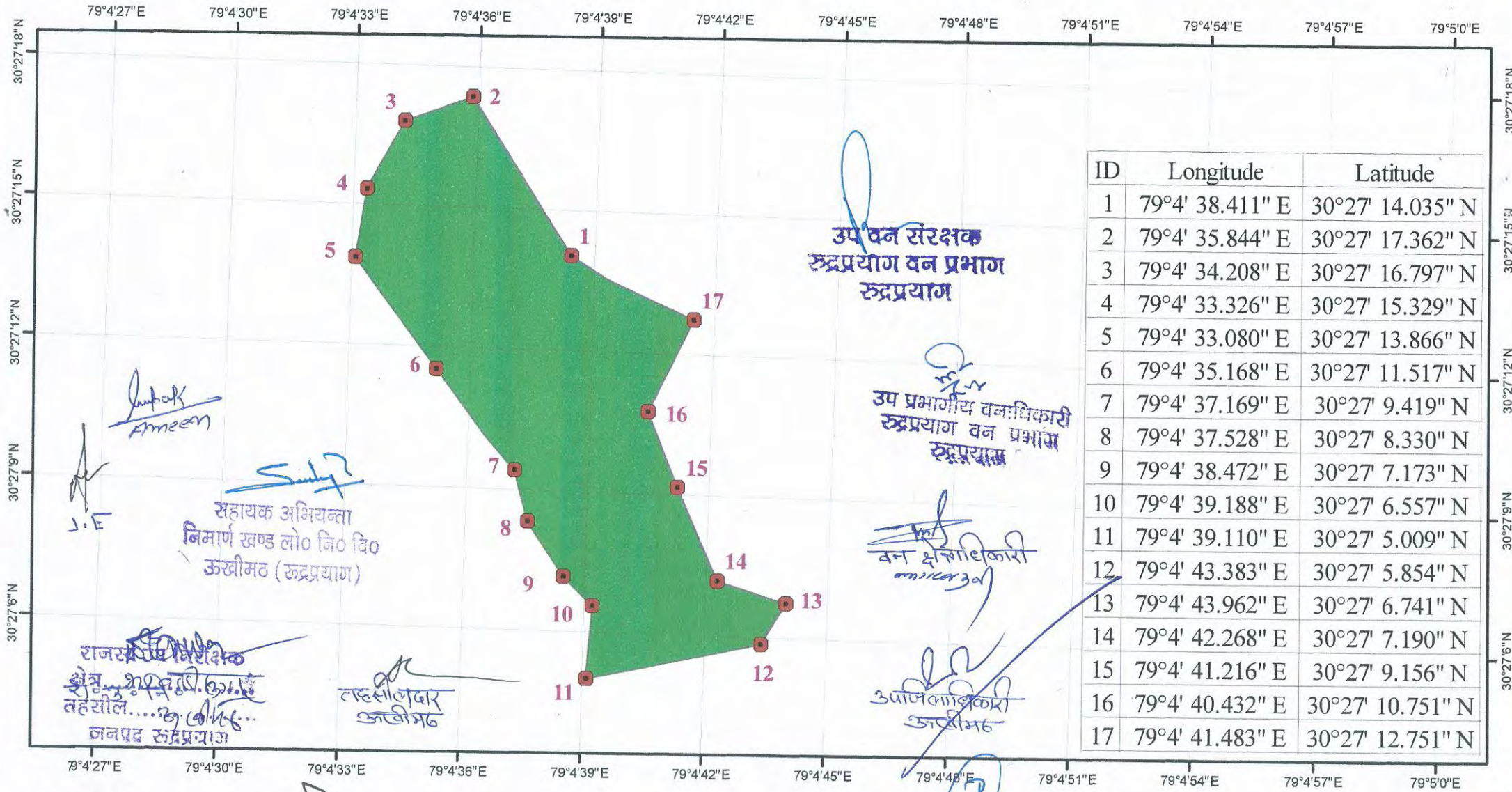
अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

R.S.J

रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

जियोरेफेरेंस मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत बांसवाड़ा से किरोदी
– जलई – गैरकण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.25 0.50 0.1 Km
Scale - 1:3,500



Legend

- GPS Point
- CA Land
- अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

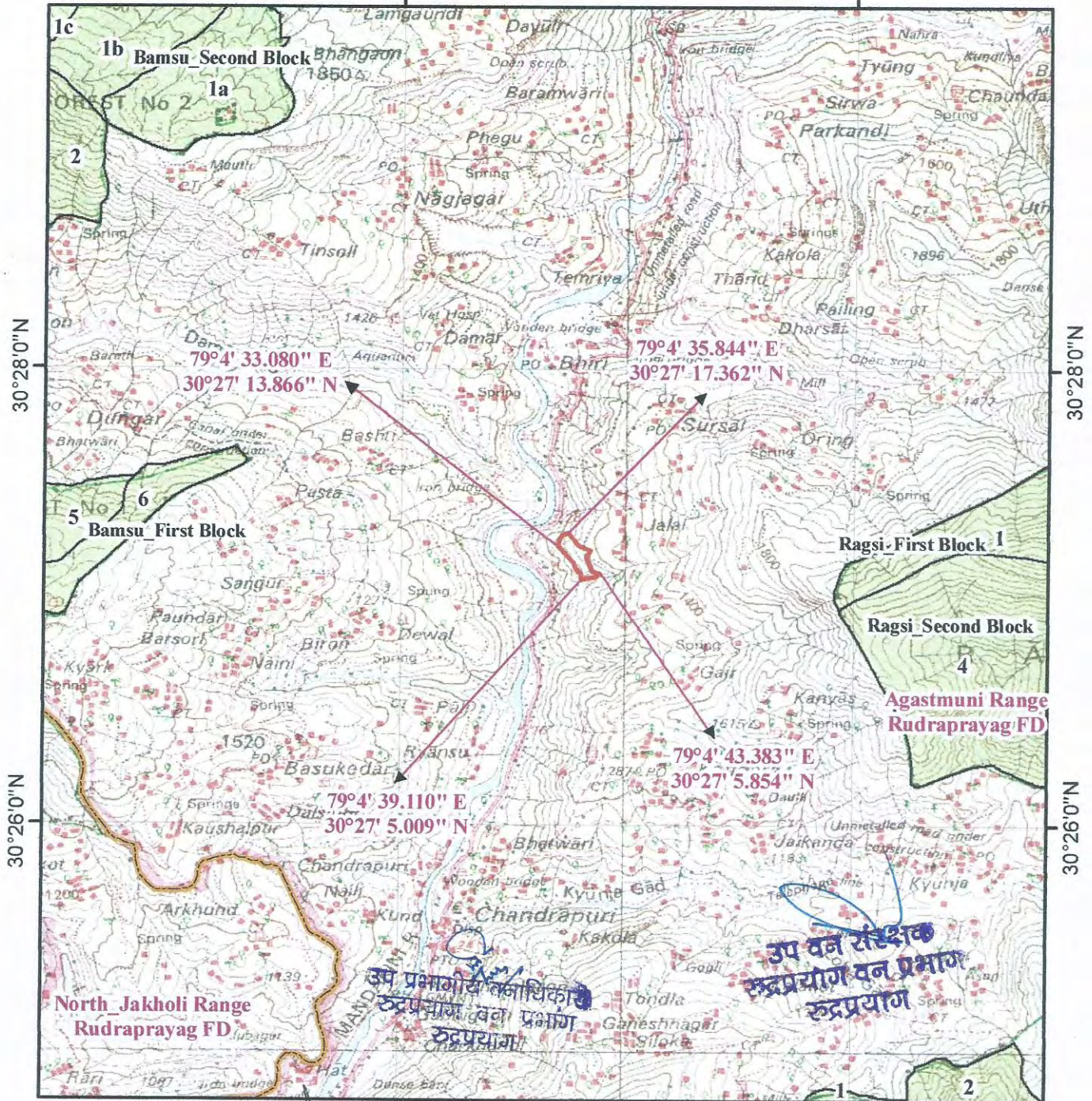
डिजिटल मैप – जनमद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत बांसवाड़ा से
किरोदी – जलई – गैरकण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु चयनित
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 Km



79°4'0"E

79°6'0"E



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षतिपूर्ति अधिकारी

अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग

उप निरीक्षक
ऊखीमठ

निरीक्षक

प्रस्तावित मोटर मार्ग के रिक्त पड़े स्थलो पर वृक्षारोपण का कार्य

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग (2.06 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 2.00 किमी०।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 2.00 किमी०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (100 पौध / प्रति किमी०) $100 \times 2.00 = 200$ पौध

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रेंज - अगस्त्यमुनि रेंज

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.4000 है०	81.000	113.400
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.4000 है०	2627.000	3677.800
3	ट्री गार्ड करना	200 है०	1400.000	280000.000
4	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	200 गडढा	5.600	1120.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	200 पौध	4.400	880.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना,	1.4000 है०	645.000	903.000
	योग - प्रथम चरण			286694.200

द्वितीय चरण

1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	200 पौध	1.00	2.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	200 पौध	1.25	250.00
3	ट्री गार्ड ढुलान करना	200 L.S.	145.000	29000.000
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	200 L.S.	125.000	25000.000
5	50 बैग पौध का ढुलान वाहन से 25 कि०मी०	200 पौध	6.20	310.00
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	200 पौध	1.95	390.00
7	निराई गुडाई व मल्लिचंग (दो बार)	200 पौध	1.15	230.00
8	खाद व दवा पर व्यय	1.4000 है०	1000.00	1400.00
9	प्रथम वर्ष में देख -रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	1.4000 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	8114.40
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	1.4000 है०	8057.00	8057.00
	योग- द्वितीय चरण			72753.40
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			359447.60

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4000 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	8114.40
3	अन्य कार्य	1.4000 है०	320.00	448.00
	योग- तृतीय चरण			8562.40

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4000 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	8114.40
2	अन्य कार्य	1.4000 है०	320.00	448.00
	योग- चतुर्थ चरण			8562.40

पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4000	₹0	483 प्रतिमाह / प्रति ₹0	8114.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4000	₹0	320.00	448.00
योग— पंचम चरण					8114.40
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4000	₹0	483 प्रतिमाह / प्रति ₹0	8114.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4000	₹0	320.00	448.00
छठवां चरण का योग :-					8562.40
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4000	₹0	483 प्रतिमाह / प्रति ₹0	8114.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4000	₹0	320.00	448.00
सातवां चरण का योग :-					8562.40
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4000	₹0	483 प्रतिमाह / प्रति ₹0	8114.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4000	₹0	320.00	448.00
आठवां चरण का योग :-					8562.40
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4000	₹0	483 प्रतिमाह / प्रति ₹0	8114.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4000	₹0	320.00	448.00
नवें चरण का योग :-					8562.40
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4000	₹0	483 प्रतिमाह / प्रति ₹0	8114.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4000	₹0	320.00	448.00
दसवें चरण का योग :-					8562.40
कुल धनराशि				प्रथम चरण	286694.20
				द्वितीय चरण	72753.40
				तृतीय चरण	8562.40
				चतुर्थ चरण	8562.40
				पंचम चरण	8114.40
				षष्ठम चरण	8562.40
				सप्तम चरण	8562.40
				अष्टम चरण	8562.40
				नवम चरण	8562.40
				दशम चरण	8562.40
				कुल योग	427498.80
				या —	427499.00
सिलिंग के अनुसार देय दर /		2.0000	K.M.	6.90624=0	
-200000.00 ₹0/किमी0				400000.00	

वन सहायिका
अग्निशमन विभाग
जयपुर जिला प्रभाग

उप प्रभारी वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग (2.06 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 2.00 किमी०।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 0.650 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध) 1300 पौध

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.6500 है०	81.000	52.650
2	स्थल सफाई कार्य	0.6500 है०	2627.000	1707.550
3	कुली दीवारबन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी प्रति है० = 81 घ०मी० @ 172 /-घ०मी०	0.6500 है०	22275.000	14478.750
4	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	1300 गडढा	5.600	7280.000
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गडढा	32.5 किग्रा०	20.000	650.000
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	1300 पौध	4.400	5720.000
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	1. वानस्पतिक / स्टोन चैकडैम 8 X 4739 = 37912.00	0.6500 है०	64460.000	64460.000
	3. वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 x 2.50 x 1.0) 5x5310 = 26550.00			
	योग- 64460.00			98947.25
	योग - प्रथम चरण			94348.950

द्वितीय चरण

1	झाडी कटान (लैन्टाना गाजर घास / काला बांस)	0.6500 है०	1329.00	863.85
2	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.450)	1300 गडढा	1.00	1300.00
3	पौध डुलान कार्य	1300 पौध	6.20	8060.00
4	पौधारोपण व थालाबन्दी	1300 पौध	1.95	2535.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई व मलचिंग कार्य	1300 पौध	1.33	1729.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई व मलचिंग कार्य	1300 पौध	1.15	1495.00
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	1300 पौध	1.25	1625.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.6500 है०	483 प्रतिमाह प्रति है०	2825.55
9	अन्य कार्य	0.6500 है०	320.00	208.00
	योग- द्वितीय चरण			23816.95
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			114990.35

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०

1	पौध की लागत	130 पौध	5.65	734.50
2	पौध डुलान कार्य	130 पौध	6.20	806.00
3	पुनः गडढे खोदना एवं रोपण कार्य	130 पौध	3.10	403.00
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	130 पौध	1.37	178.10
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	130 पौध	1.15	149.50
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	1 है०	483 प्रतिमाह प्रति है०	3767.40
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.6500 है०	320.00	208.00
	योग- तृतीय चरण			6246.50

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)

7207.50

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-
गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि
वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की
धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.6500	है0	483 प्रतिमाह / प्रति है0	3767.40
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.6500	है0	320.00	208.00
	योग- चतुर्थ चरण				3975.40
पंचम चरण (रख रखाव कार्य-)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.6500	है0	483 प्रतिमाह / प्रति है0	3767.40
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.6500	है0	320.00	208.00
	योग- पंचम चरण				3975.40
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6500	है0	483 प्रतिमाह / प्रति है0	3767.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6500	है0	320.00	208.00
	छठवां चरण का योग :-				3975.40
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6500	है0	483 प्रतिमाह / प्रति है0	3767.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6500	है0	320.00	208.00
	सातवां चरण का योग :-				3975.40
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6500	है0	483 प्रतिमाह / प्रति है0	3767.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6500	है0	320.00	208.00
	आठवां चरण का योग :-				3975.40
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6500	है0	483 प्रतिमाह / प्रति है0	3767.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6500	है0	320.00	208.00
	नवें चरण का योग :-				3975.40
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.6500	है0	483 प्रतिमाह / प्रति है0	3767.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.6500	है0	320.00	208.00
	दसवें चरण का योग :-				3975.40
कुल धनराशि					
	प्रथम चरण	98947.25	94348.95		
	द्वितीय चरण	23816.95	20641.40		
	तृतीय चरण	7207.50	6246.50		
	चतुर्थ चरण	4587.20	3975.40		
	पंचम चरण	4587.20	3975.40		
	षष्ठम चरण	4587.20	3975.40		
	सप्तम चरण	4587.20	3975.40		
	अष्टम चरण	4587.20	3975.40		
	नवम चरण	4587.20	3975.40		
	दशम चरण	4587.20	3975.40		
	कुल योग	162080.00	149064.65		
		162080.00	कुल योग		149064.65
			या		149065.00

वन सहायक
अनुरोध सिंह
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

MUCK DISPOSAL PLAN

Name Of Project:- Construction of Banswara-Kiroe-Jalai-Gair Kandara, Motor Road.

SL.No.	Material Received from hill side cutting		
1-	1/2(2000x3x3)	9000.00	cum
	40% for swell factor	3600.00	cum
	Total	12600.00	cum

Disposal and use of material

1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	1890.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid in Dry	1890.00	cum
3	Hand Packed stone filling	798.84	cum
4	Construction of Wirecrate	378	cum
5	Construction of Parapet	0.04	cum
6	Granular sub-base/base/surface	958.86	cum
7	Total Used	5915.74	cum
8	Material Disposal by cartage in dumping yard	6684.26	cum

Location and Quality of Dabries Disposal

Location of Dumping Yard	Size of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of Dumping Yard (Cum)
Ch.- 0/1 to 0/2	50x50x1.5	Panchayati Van Bhumi	3750.00 cum
Ch.- 0/39 to 0/40	50x50x1	Panchayati Van Bhumi	2500.00 cum
Ch.- 1/15 to 1/16	40x40x1.5	Panchayati Van Bhumi	2400.00 cum
		Total =	8650.00 cum

Summary of Dabries Disposal

S.No.	Total Dabries	Material Disposal by cartage	Reused material for Road Construction	Total diposal in dumping Zone	Balance Dabries
1	12600.00	6684.26	5915.74	6684.26	NIL

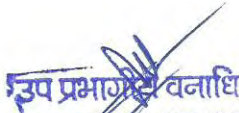

Junior Engineer
Const.Div. P.W.D.
Ukhimath


वन विभागाध्यक्ष
अनसूचित क्षेत्र


Assistant Engineer
Const.Div. P.W.D.
Ukhimath


Executive Engineer
Const.Div. P.W.D.
Ukhimath


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
वन विभागाध्यक्ष


उप प्रभाग वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी

Detail of Muck disposal yard with land owner detail

S.No.	Chainage	Name of Land Owner's Village	Land in Hq.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard	Longitude (East)	Latitude (North)
1	Ch.- 0/1 to 0/2	Panchayati Van Bhumi	0.25	2500	2500	79°4'40.050"E	30°26'59.590" N
2	Ch.- 0/39 to 0/40	Panchayati Van Bhumi	0.25	2500	2500	79°4'44.220"E	30°29'2.640" N
3	Ch.- 1/15 to 1/16	Panchayati Van Bhumi	0.16	1600	1600	79°4'45.940"E	30°27'7.650" N
Total -			0.660				


Junior Engineer
 Const.Div. P.W.D.
 Ukhimath


Assistant Engineer
 Const.Div. P.W.D.
 Ukhimath

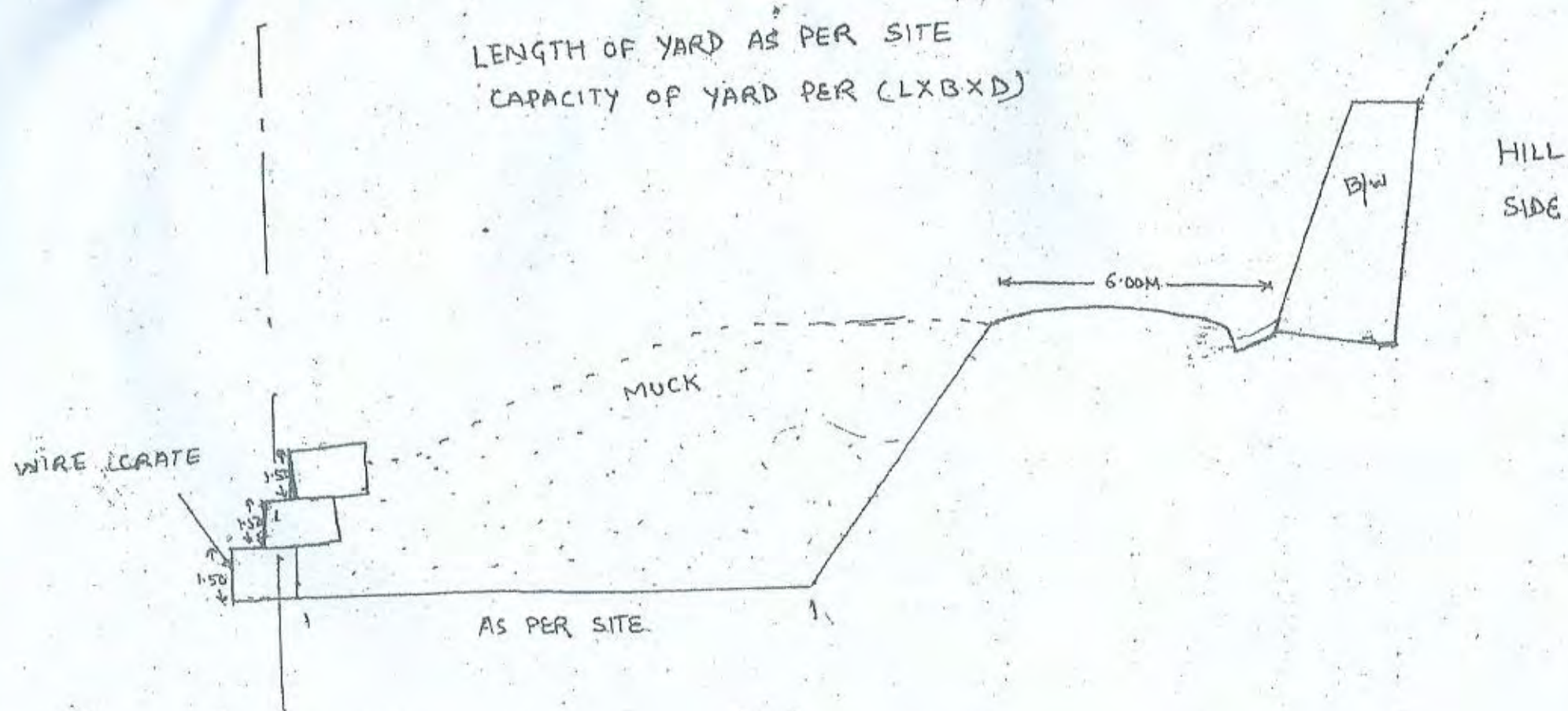

Executive Engineer
 Const.Div. P.W.D.
 Ukhimath


वन क्षेत्राधिकारी
अवधमणि रेज
रुद्रप्रयाग


उप प्रभारी वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभारी वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।



TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

सेवाये, कार्यालय - वन कार्यपालिका / अ.प्र.स.मु.ग. / पर्वत - ५१६/२१ = दि. १५/१५

सूक्ष्म प्रयोग

विषय - किरीचु वॉलवण्ड से जलई सुरक्षा
गैर कठोर गैर गरी

शेडिये, दि. २२/११/१५ की की गोपिक प्रप

विषय व.स. वॉल उच्च गैर गरी की
सूक्ष्म निरीक्षण, विगत गरी गरी के / गरी.
डाकियों से पड़ने वाले छत्रों की रचना विगत
प्रकार है।

विक्रम क्रम	०-१०	१०-२०	२०-३०	
गुलई वन पंचायत	०७	-	-	प्रथम भुज विगत गरी
—	०	०	०	दिलीप -
—	१७	-	-	गुलई -

उक्त सभी छत्र गरी की है।

आगे रचना दोकामें प्रेषित

सलाम - गुलई

अ.प्र.स.मु.ग.
वन कार्यपालिका
अ.प्र.स.मु.ग.



Signature
5.6.1

Signature
अधीक्षक वनविभाग
विभाग - वन्य जन्तु विभाग
बलीयत (रुद्रप्रयाग)

Signature
वन क्षेत्राधिकारी
अनसुमनि रेज

Signature
उप प्रभारित वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
वन क्षेत्राधिकारी
अनसुमनि रेज

Signature
अधीक्षक वनविभाग
निर्वाण ब्रम्ह, लो० नि० विभा
बलीयत (रुद्रप्रयाग)
Signature
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



[Signature]
54

[Signature]
सहायक अधीक्षक
वन विभाग
रूद्रप्रयाग

[Signature]
वन निरीक्षक
अण्डमनी रेंज
रूद्रप्रयाग

[Signature]
परिचालक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
रूद्रप्रयाग (रूद्रप्रयाग)

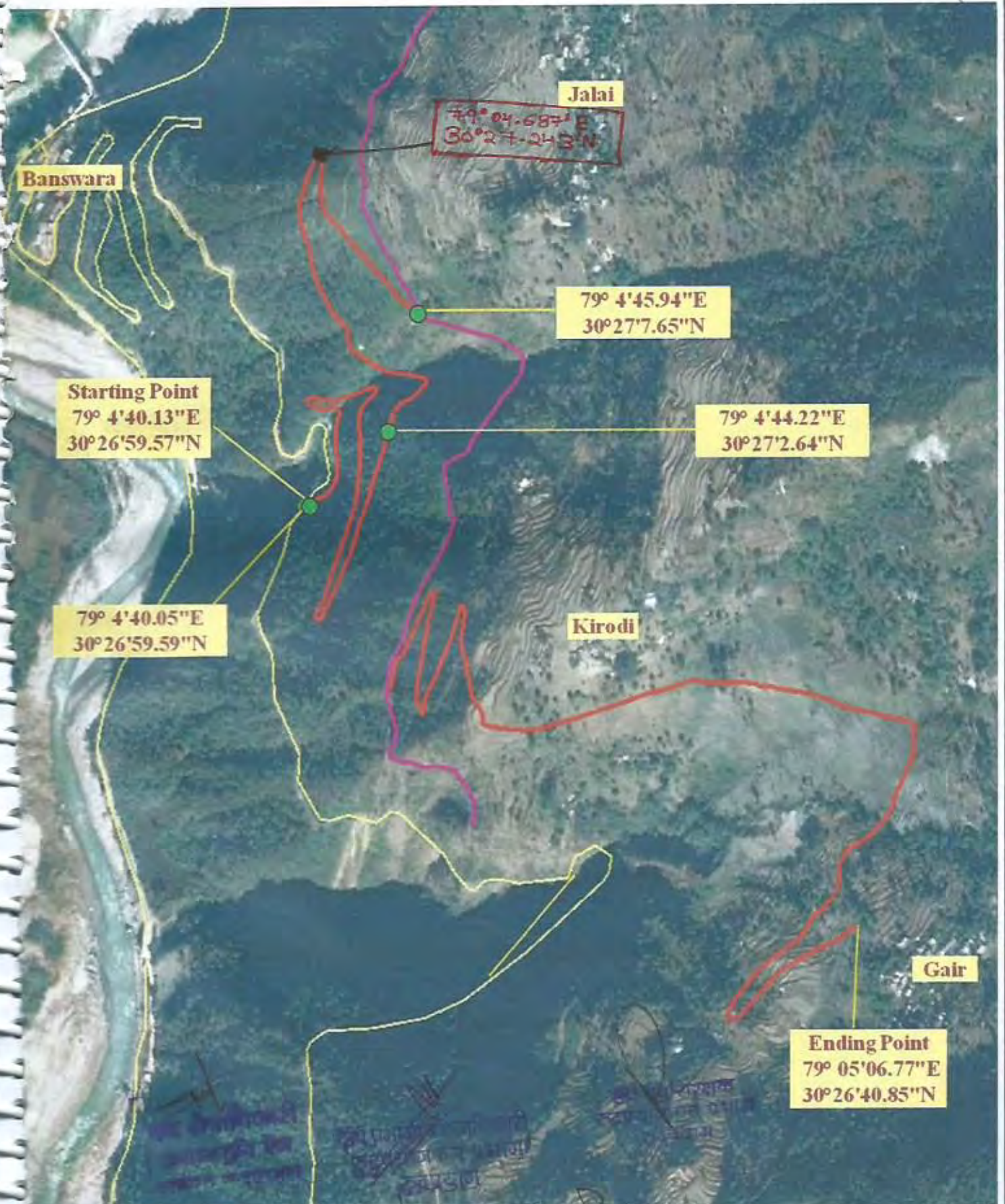


[Signature]
54

[Signature]
सहायक अधीक्षक
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रूद्रप्रयाग

[Signature]
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
रूद्रप्रयाग (रूद्रप्रयाग)

डिजिटल मैप – जनमद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत बांसवाड़ा से किरोदी
 – जलई – गैरकण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई- 04.00 किमी०)



Legend

Dumping Zone

Proposed Road

Existing Road

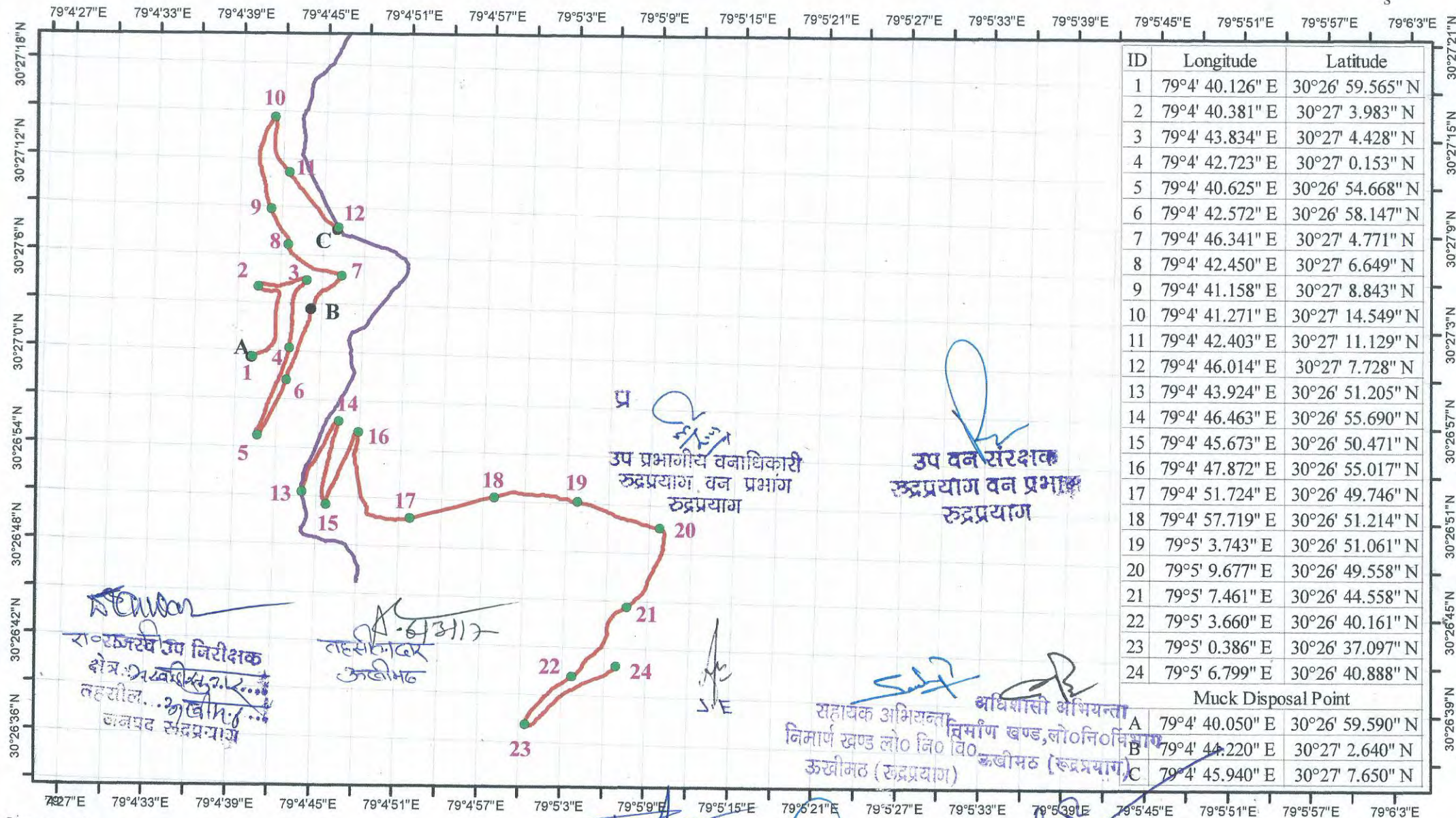
वन क्षेत्र अधिकारी

अधीनस्थ अधिकारी

अधिशोसी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जियोरेफेरेन्स मैप – जनमद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत बांसवाड़ा से किरोदी
– जलई – गैरकण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई- 04.00 किमी0)

0 0.5 1.0 2.0 Km
Scale - 1:10,000



Legnd

- Muck Disposal Point
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

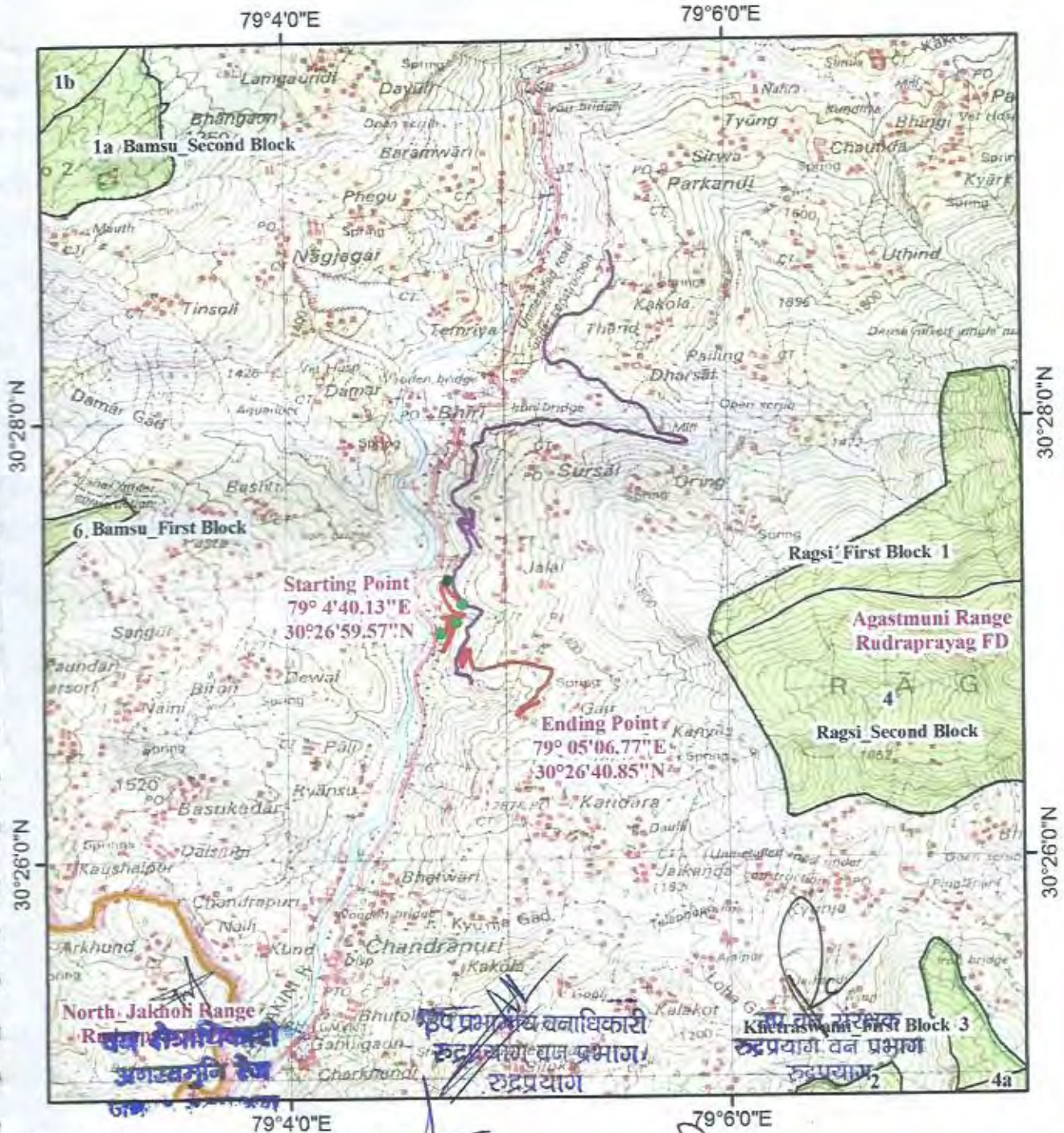
सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
अधिसासो अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग

उपनिवाहिकारी ऊखीमठ

डिजिटल मैप – जनमद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना क अर्न्तगत बांसवाड़ा से किरोदी – जलई – गैरकण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई- 04.00 किमी०)

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- ▭ Reserve Forest Boundary
- ▭ Forest Range Boundary

अधिकांश अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिकांश अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० देयता निम्नानुसार है।

1-ईको - क्लास श्रेणी	V
2-हरियाली का घनत्व	41%
3-एन०पी०वी० की दर प्रति है	845000 = ₹
4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	2.06 ha.
5-कुल देय एन०पी०वी० की धनराशी	17,40,700 = ₹


जिला अधीक्षक,
रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग


उप वन संयोजक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलाई-
गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-
पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-52

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग (2.06 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

जमा किया जायेगा।

क्र०सं०		कार्य का विवरण	सं०			नपत मीटर में			इकाई	दर रू०	धनराशि रू०	
						ल०	चौ०	ऊँचाई / ग०				मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	P.W.D NO 97511 16-1	पिलर निर्माण एवं बुनियाद खुदान	1	x	1/2	1.000	0.500	0.700	0.175	cum	275.20	48.16
2		आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	x	1	L.S. 500.00					500.00	
3	P.W.D NO 97363 12-5-2-1	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण।	1	x	1	1.00	0.50	0.10	0.05	cum		
			1	x	1	0.30	0.30	1.20	0.11	cum		
Total									0.16		6956.30	1099.10
4	P.W.D NO 81164 1-5-22-1	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना	0.158 X 78.50 X 1% = 0.124					0.1240	per qn		6310	782.63
5	P.W.D NO 75313 12-3	पिलर में 1:4 मसाले में प्लास्टर कार्य।	1	X	4	0.30		1.20	1.44			
			1	X	1	0.30	0.30		0.09			
Total									1.53	sqm	135.80	207.77
6	पिलर पर सफेदी कार्य व पिलर संख्या लिखना		L.S.								500.00	
7	पानी की ढुलाई आदि		L.S.								500.00	
	Total											3637.66
Mainas 15%												545.65
एक सीमा पिल्लर पर व्यय रुपये – 3090.00 (तीन हजार, नब्बे मात्र)												3092.01

वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप प्रमाणित अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप प्रमाणित अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

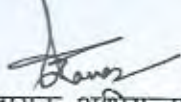
प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

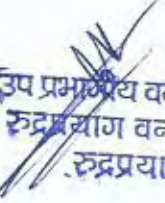
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्राधिकारी
वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।